दिनांक 14.02.2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून की अध्यक्षता में निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के संबंध में सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरणः–
डा. आर.के.जैन, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
श्री धीरेन्द्र सिंह दताल, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
श्री रईस अहमद, उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून।
श्री जगदीश सिंह रावत, सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
श्री रमेश लाल टम्टा, विधि अधिकारी, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
समस्त पटल सहायक, निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

सर्वप्रथम मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का परिचय करते हुए अभिनन्दन किया तथा निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यों के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गयी।

2. बैठक में सर्वप्रथम निदेशालय स्तर पर संचालित राज्य पोषित कक्षा–1 से 10 तक अल्पसख्यंक छात्रवृत्ति के संबंध में विचार–विमर्श किया गया। चर्चा के दौरान यह संज्ञान में आया कि उक्त योजनान्तर्गत आय के मानक गरीबी रेखा के दौगुने से अधिक लगभग ₹ 36,000 वार्षिक है, जो बहुत कम है तथा वर्तमान समय में छात्रवृत्ति की ऑनलाईन प्रक्रिया में प्रमाण–पत्र अपलोड किये जाने के कारण आवेदन पत्र कम प्राप्त हुए है तथा प्रमाण–पत्र अपलोड किये जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य पोषित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में आय के मानक में वृद्धि किये जाने संबंधी प्रस्ताव एवं ऑनलाईन प्रक्रिया में प्रमाण–पत्र अपलोड न किये जाने संबंधी अनुरोध प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः निदेशालय स्तर)

3. बैठक में भारत सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक छात्रवृत्तियों क्रमशः मैरिट कम–मीन्स, पोस्ट मैट्रिक एवं प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में विचार–विमर्श के उपरान्त मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त छात्रवृत्तियों में उत्तराखण्ड के लिए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष भारत सरकार को प्रेषित आवेदन पत्रों की कम संख्या होने पर असन्तोष व्यक्त किया गया, जिसके क्रम में अवगत कराया गया कि वर्तमान समय में हमारे पोर्टल पर उत्तराखण्ड के अतिरिक्त अन्य राज्यों के छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे, जिनको निदेशालय स्तर पर निरस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ आवेदन पत्रों का इन्स्टीट्यूट स्तर से ही सत्यापन नहीं किया गया है, जिस कारण लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन पत्र भारत सरकार को प्रेषित नहीं किये जा सके है। इस संबंध में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा भारत सरकार के कॉमन पोर्टल के संबंध में उक्त समस्या के निराकरण हेतु वार्ता/प्रस्ताव सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं अल्पसंख्यक कार्य मत्रांलय, भारत सरकार को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये।

(कार्यवाहीः निदेशालय स्तर एवं सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून)

4. राज्य सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक विकास निधि योजनान्तर्गत नियमावली में प्राविधानित धनराशि ₹ 400.00 लाख के सापेक्ष वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा ₹ 300.00 लाख किये जाने के संबंध में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा असन्तोष व्यक्त करते हुए उक्त प्राविधानित धनराशि को ₹ 400.00 से बढ़ाकर ₹ 600.00 किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये। इसके अतिरिक्त मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 13.02.2019 को जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर/विकासनगर में किये गये भ्रमण के समय सहसपुर में स्थित मदरसे में लगभग 850 छात्र/छात्राऐं अध्ययनरत् है, वह नदी के किनारे पर है, जिससे बरसात में पानी मदरसे तथा आस–पास के घरों में आ जाने के कारण काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जिस हेतु मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा नदी किनारे निवासरत् ग्रामीण वासियों एवं मदरसे की

रिटेनिंग दीवार का निर्माण कराये जाने की अपेक्षा व्यक्त की गयी। इस संबंध में उप निदेशक महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त निर्माण कार्य आपदा विभाग अथवा सिंचाई विभाग से कराया जाना उचित प्रतीत होता है, जिस हेतु मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा जनपद स्तर से प्रस्ताव आपदा विभाग अथवा सिंचाई विभाग को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून, निदेशालय स्तर एवं जिलाधिकारी, देहरादून)

5. बैठक के दौरान कब्रिस्तान में चाहरदीवारी योजनान्तर्गत विस्तार से विचार–विमर्श हुआ। इस संबंध में उप निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर जिला स्तरीय समिति गठित है, जिसका उद्देश्य संबंधित जनपद में सर्वप्रथम शहरी क्षेत्र में अतिक्रमित कब्रिस्तानों की चाहरदीवारी से संबंधित प्रस्तावों का वरियता क्रम के अनुसार अनुमोदित कर निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने का है, किन्तु जनपद स्तर से बिना वरियता के ही समस्त प्रस्ताव अनुमोदित कर निदेशालय को उपलब्ध कराये जा रहे है, जिससे योजना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये।

(कार्यवाहीः निदेशालय स्तर एवं समस्त जिलाधिकारी)

6. बैठक में भारत सरकार द्वारा संचालित एम.एस.डी.पी. योजना जिसका नाम वर्तमान में परिवर्तित होकर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना हो गया है। पूर्व में उक्त योजनान्तर्गत पंचवर्षीय लेऑउट मिलता था, जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2016–17 तक उत्तराखण्ड राज्य में 83 निर्माण कार्य हेतु ₹ 9585.94 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी, जिसमें से 44 निर्माण कार्य गतिमान, 11 निर्माण कार्य पूर्ण तथा 28 निर्माण कार्य हस्तगत हो गये है। गतिमान 44 निर्माण कार्य भी लगभग 4–5 महीने में पूर्ण हो जायेगे। इस संबंध में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा गतिमान 44 निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुए हस्तगत किये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः निदेशालय स्तर एवं कार्यदायी संस्था)

7. बैठक के दौरान मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा मदरसों में बालक व बालिकाओं हेतु शौचालय के निर्माण कराये जाने की अपेक्षा व्यक्त की गयी। इस संबंध में उप निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि मदरसों में शौचालय के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव भारत सरकार की स्वच्छ विद्यालय पहल योजना के अन्तर्गत मदरसा बोर्ड के स्तर से भारत सकरार को प्रेषित किये जा चुके है, जिसका संचालन मौलाना आजाद एजुकेशन फाउन्डेशन द्वारा किया जा रहा है, किन्तु भारत सरकार के स्तर से वर्तमान तक धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है। इस संबंध में मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित करने तथा अनुस्मारक पत्र प्रेषित किये जाने के भी निर्देश दिये गये।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, देहरादून)

8. इसके अतिरिक्त मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त कर्मचारियों को निर्देश दिये गये कि वह अपने–अपने पटल से संबंधित जो भी कार्य/पत्र प्रेषित करते है, तो जब तक उनके संबंध में कार्यवाही पूर्ण न हो जायें, निरन्तर अनुस्मारक पत्र प्रेषित करें तथा सौपें गये कार्य/योजना को पूर्ण लग्न और मेहनत से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को जन सामान्य तक पहुचाने का भरसक प्रयास करें, ताकि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का नाम उजागर हो।

(कार्यवाहीः निदेशालय के समस्त पटल सहायक)

9. अन्त में उक्त समस्त निर्देशों का पालन किये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों को मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित करते हुए सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
निदेशक

निदेशालय अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखण्ड

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, निकट आश्रम पद्धति विद्यालय, अधोईवाला, देहरादून।

पत्रांक 1259/नि.अ.क./675–समीक्षा बैठक/कार्यवृत्त/2018–19 दिनांक 16 फरवरी, 2019

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निजी सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री जी, को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून को मा0 अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. उप रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड, देहरादून।
6. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून।
7. निदेशालय में कार्यरत समस्त पटल सहायकों को उक्त निर्देशों के अनुपालन के संबंध में प्रेषित।

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
निदेशक